(546)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03पेन-14/2010 931 /खाद्य,पटना, दिनांक- 15.2.2011

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

विषयः- लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों का त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 3290/2005 में दिनांक 24.10.08 को पारित आदेश के द्वारा सेवान्त/पेंशन के लम्बित मामले के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा वित्त विभागीय पत्रांक 3155 दिनांक 07.11.1981 के द्वारा सेवान्त लाभ के भुगतान में तीन माह से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में 05 प्रतिशत सूद देने का प्रावधान किया गया है । अनावश्यक विलम्ब के करण देय ब्याज की रकम के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से वसूल करने का निदेश है । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के ज्ञापांक 169 दिनांक 24.01.2011 की छाया प्रति संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु व्यक्तिगत संज्ञान लेने की कृपा की जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासिभाजन,
15/2/11
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

पत्र संख्या-वि.(27) पे.को.-199/2010-_____/वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

- मानव संसाधन विकास विभाग ।
- पथ निर्माण विभाग ।
- सहकारिता विभाग ।
- उद्योग विभाग ।
- लघु जल संसाधन विभाग ।
- पर्यावरण एवं वन विभाग ।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
- जल संसाधन विभाग ।
- सामान्य प्रशासन विभाग ।

पटना,दिनांक_____/

विषय :- लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों का त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभाग के स्तर पर सेवान्त लाभ के निष्पादन के संदर्भ में विभागीय नोडल पदाधिकारियों की बैठक में उनके द्वारा दी गई सूचना के आलोक में आपके विभाग में अक्टूबर, 2010 तक लम्बित मामलों की संख्या 50 से अधिक है । विभागवार सूची संलग्न है ।

वित्त विभागीय पत्रांक-1070 दिनांक 23.01.1974 के द्वारा पेंशन/सेवान्त लाभ के मामले में अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार माना गया है, तथा इसके लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने का सरकारी निदेश है । ज्ञातव्य हो माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी.डब्ल्यू.जे.सी.संख्या-3290/2005 में दिनांक 24.10.2008 को पारित आदेश के द्वारा सेवान्त//पेंशन के लम्बित मामले के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा वित्त विभागीय पत्रांक-3155 दिनांक 07.11.1981 के द्वारा सेवान्त लाभ के भुगतान में तीन माह से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में 5% सूद देने का प्रावधान किया गया है । अनावश्यक विलम्ब के कारण देय ब्याज की रकम को दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से वसूल करने का निदेश है ।

अतः अनुरोध है कि सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु व्यक्तिगत संज्ञान लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- वि.(27) पे.को.-199/2010-169/वि0, पटना,दिनांक 24.01.2011

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक/सभी विभाग/निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/DGP/ADGP/Zonal IG/D.I.G./जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2011
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

Pen.Sec/649/ravi